/

केरल राज्य प्रबंधन और विपणन निगम लिमिटेड को प्रभावित करता है।

बनाम

आय कर चक्र के सहायक आयुक्त 1 (1)

/

(सिविल अपील सं. 2022 का 11) 03 जनवरी, 2022

[आर**.** सुभाष रेड्डी और ऋषिकेश रॉय**,** जे**.** जे**.]**

आय कर अधिनियम, 1961:धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.)-2013 के अधिनियम 17 द्वारा आयकर अधिनियम में संशोधन का उद्देश्य, जिसके द्वारा एस.40(a) (iib) (A), (B) डाला जाता है-आयोजितः उक्त संशोधन राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रमों से लाभ को राज्य के खजाने में स्थानांतरित करने या स्थानांतरित करने की संभावना को रोकने के लिए किया गया है। 40(क) (iib) अधिनियम की कोई भी राशि, जो विशेष रूप से राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रम (तत्काल मामले में के. एस. बी. सी.) पर लगाई जाती है, राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रम की पुस्तकों में कटौती के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार यह आयकर के लिए उत्तरदायी है-यह काफी अच्छी तरह से तय किया गया है कि व्याख्या उस तरीके से होनी चाहिए जो कानून के पीछे के उद्देश्य और इरादे को कम करेगी और बढ़ावा देगी-यदि इसकी व्याख्या इस तरह से नहीं की जाती है कि यह विधान के इरादे को विफल कर देगा-उक्त प्रावधान को विफल करने के लिए, राज्य सरकारें एक से अधिक राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रमों को लाइसेंस जारी कर सकती हैं और अंततः कह सकती हैं कि यह एक विशेष उपक्रम नहीं है और इसलिए एस.40(क) (आई. आई. बी.) आकर्षित नहीं है-अबकारी अधिनियम, 1902-भारत का संविधान-Art.289।

/

/

/

आय कर अधिनियम, 1961:एस. 40 (ए) (आई. आई. बी.)-एफ. एल.-9 और एफ. एल.-1 लाइसेंसों के संबंध में गैलोनेज शुल्क, लाइसेंस शुल्क और दुकान किराया (किस्ट) पूरी तरह से एस. के दायरे में आते हैं।40(ए) (आई. आई. बी.) अधिनियम का।

/

आय कर अधिनियम, 1961:एस. 40 (ए) (आई. आई. बी.)-'शुल्क' या 'शुल्क' जैसा कि एस. में उल्लिखित है।40(क) (आई. आई. बी.)-आयोजितःयह केवल 'शुल्क' या 'शुल्क' लेगा जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है या कोई भी शुल्क या शुल्क जो भी नाम से जाना जाता है, लेकिन कर या कर पर अधिभार को शामिल नहीं कर सकता है-बिक्री कर पर अधिभार कुछ और नहीं बल्कि एस के अंतर्गत लगाए गए मूल बिक्री कर की वृद्धि है।5(1) केजीएसटी अधिनियम के अनुसार, अधिभार और कुछ नहीं बल्कि एक बिक्री कर है-यह कर में वृद्धि के अलावा और कुछ नहीं है-यह एस के दायरे से बाहर आता है।40(ए) (आई. आई. बी.) (ए) और एस।40(ए) अधिनियम का (आई. आई. बी.) (बी)-यही कारण कारोबार कर पर भी लागू होगा-क्योंकि ऐसा कारोबार कर ए है।

/

/

105

106 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 1 एस. सी. आर.

एस के दायरे से बाहर भी।40(ए) (आई. आई. बी.) (ए) और एस।40(ए) (आई. आई. बी.) (बी) अधिनियम की।

आय कर अधिनियम, 1961:धारा 40 (ए) (आई), 40 (ए) (आई. ए.), 40 (ए) (आई. आई. बी.), 40 (ए) (आई. सी.)-जहां भी संसद कर को शामिल करने का इरादा रखती है, वहां इसका विशेष रूप से कर के रूप में उल्लेख किया जाता है -एस. 40 (ए) (आई) और एस.40(क) (आई. ए.) विशेष रूप से कर संबंधी वस्तुओं से संबंधित है -एस. 40 (ए) (आई. सी.) सीमांत लाभ कर के कारण भुगतान की गई राशि को संदर्भित करता है-साथ ही,एस. 40 (ए) (आई. आई. बी.) रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क, सेवा शुल्क, विशेषाधिकार शुल्क या किसी अन्य शुल्क या शुल्क को संदर्भित करता है-यदि इन शब्दों में बिक्री कर जैसे कर या अधिभार शामिल माना जाता है, तो एस.40 कर और शुल्क के बीच का संबंध समाप्त कर दिया जाएगा और इसे अर्थहीन बना दिया जाएगा-यह व्याख्या का तय सिद्धांत है कि जहां एक ही क़ानून, अलग-अलग शब्दों और अभिव्यक्तियों का उपयोग करता है, तो यह स्पष्ट है कि विधानमंडल विशिष्ट और अलग-अलग चीजों का उल्लेख कर रहा है।

/

/

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

आयोजित किया गया:**1.** आयकर अधिनियम**, 1961** की धारा **40** एक ऐसा प्रावधान है जो 'व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ' शीर्षक के अंतर्गत प्रभार्य आय की गणना करते समय उन राशियों से संबंधित है जो कटौती योग्य नहीं हैं।अधिनियम की धारा **40** को वर्ष **2013** में संशोधित किया गया है**,** और **40 (**ए**) (**आई**.** आई**.** बी**.)** को **2013** के संशोधन अधिनियम **17** द्वारा जोड़ा गया है**,** जो **01.04.2014** से लागू हुआ है।भारत के संविधान के अनुच्छेद **289** के अनुसार**,** किसी राज्य की संपत्ति और आय को संघ कर से छूट दी जाएगी।इसलिए**,** अनुच्छेद **289** के संदर्भ में**,** संघ को अपनी आय और संपत्ति पर राज्यों पर कर लगाने से रोक दिया गया है।यह उपरोक्त अनुच्छेद के संदर्भ में राज्यों को दिया गया संवैधानिक संरक्षण है।इस संरक्षण ने राज्यों को अनुच्छेद **289** के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के उपक्रमों से आय/लाभ को संबंधित राज्यों की समेकित निधि में स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया है।तत्काल मामले में केएसबीसी**,** एक राज्य सरकार का उपक्रम**,** किसी भी अन्य वाणिज्यिक इकाई की तरह एक कंपनी है**,** जो शराब में थोक और खुदरा व्यवसाय के उद्देश्य से किसी भी अन्य व्यावसायिक इकाई की तरह व्यवसाय और व्यापार में लगी हुई है।इस तरह के उपक्रम राज्यों के नियंत्रण अंतर्गत हैं क्योंकि कुल हिस्सेदारी या कुछ मामलों अंतर्गत अधिकांश हिस्सेदारी राज्यों के पास है।इस प्रकार वे इस पर नियंत्रण रखते हैं और पूरे अधिशेष या इसके एक हिस्से को ए में विनियोजित करके लाभ को स्थानांतरित करते हैं।

/

/

/

/

/

सरकार करों या इसी तरह के विनियोगों के माध्यम से।वित्त अधिनियम**, 2013** के प्रासंगिक ज्ञापन और **2013** के अधिनियम **17** द्वारा आयकर अधिनियम में संशोधन के अंतर्निहित उद्देश्य से**,** जिसके द्वारा धारा **40 (**ए**) (**आई**.** आई**.** बी**.) (**ए**) (**बी**)** जोड़ी गई है**,** यह स्पष्ट है कि उक्त संशोधन इन उपक्रमों से राज्य के खजाने में लाभ के संभावित हस्तांतरण या स्थानांतरण को रोकने के लिए किया गया है।अधिनियम की धारा **40 (**ए**) (**आई**.** आई**.** बी**.)** को ध्यान में रखते हुए**,** जैसा कि संकेत दिया गया है**,** कोई भी राशि**,** जो विशेष रूप से राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रम **(**तत्काल मामले में के**.** एस**.** बी**.** सी**.)** पर लगाई जाती है**,** को राज्य

के स्वामित्व वाले उपक्रमों की पुस्तकों में कटौती के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार यह आयकर के लिए उत्तरदायी है।[पैरा **13] [121-**डी-एच**; 122-**ए-बी**]**

/

/

2. तत्काल मामले में गैलोन शुल्क, लाइसेंस शुल्क, दुकान किराया (किस्ट), अधिभार और कारोबार कर वे राशियाँ हैं जिनका निर्धारिती दावा करता है कि वे अधिनियम की धारा **40** (ए) (आई. आई. बी.) से आकर्षित नहीं हैं। दूसरी ओर यह प्रत्यर्थी/राजस्व का मामला है कि सभी उक्त घटक धारा **40** (ए) (आई. आई. बी.) (ए) या धारा **40** (ए) (आई. आई. बी.) (बी) के अवयवों को आकर्षित करते हैं, जैसे कि वे कटौती योग्य नहीं हैं।मोटे तौर पर इन शुल्कों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।गैलोन शुल्क, लाइसेंस शुल्क और दुकान किराया (किस्ट) **1902** के अबकारी अधिनियम के अंतर्गत लगाए गए शुल्क की प्रकृति में हैं। ये एफएल**-9** और एफएल**-9** के अंतर्गत जारी किए गए लाइसेंसों के लिए देय शुल्क हैं।**1.** आक्षेपित आदेश में, उच्च न्यायालय ने कहा है कि एफएल**-9** लाइसेंस के संबंध में गैलोन शुल्क, लाइसेंस शुल्क और दुकान का किराया (किस्ट) कटौती योग्य नहीं है, क्योंकि यह निगम पर एक विशेष शुल्क है।इसके अलावा धारा **40** (ए) (आई. आई. बी.) को लागू करने के लिए एफ. एल.**-1** लाइसेंस और एफ. एल.**-9** लाइसेंस के बीच अंतर केवल इस आधार पर किया जाता है कि एफ. एल.**-1** लाइसेंस न केवल अपीलकर्ता/के. एस. बी. सी. को जारी किए जाते हैं, बल्कि एक अन्य सरकारी उपक्रम, यानी केरल राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड को भी जारी किए जाते हैं। उच्च न्यायालय ने कहा है कि के. एस. बी. सी. जैसे एफ. एल.**-9** के अंतर्गत लाइसेंस रखने वाला कोई अन्य खिलाड़ी नहीं है, इसलिए धारा **40** (ए) (आई. आई. बी.) में उपयोग किया गया 'विशिष्टता' शब्द ऐसी राशियों को आकर्षित करता है।साथ ही केवल इस आधार पर कि एफ. एल.**-1** लाइसेंस न केवल के. एस. बी. सी. को बल्कि केरल राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड को भी जारी किए जाते हैं, उच्च न्यायालय ने माना है कि धारा **40** (ए) (आई. आई. बी.) के अंतर्गत प्रावधान को लागू करने के लिए विशिष्टता समाप्त हो गई है।यदि धारा **40** (ए) (आई. आई. बी.) के अंतर्गत संशोधित प्रावधान को उच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या किए गए तरीके से पढ़ा जाना है,

/

/

/

/

/

/

यह सचमुच संशोधन के पीछे के उद्देश्य और इरादे को विफल कर देगा।धारा **40 (**ए**) (**आई**.** आई**.** बी**.)** के अंतर्गत विशिष्टता के पहलू पर संकीर्ण व्याख्या के साथ विचार नहीं किया जाना चाहिए**,** जो केवल इस आधार पर विधानमंडल के इरादे को विफल कर देगा कि एक और खिलाड़ी है**,** अर्थात।**,** केरल राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड जिसे एफ**.** एल**. 1** के अंतर्गत लाइसेंस भी दिया गया है।धारा **40 (**ए**) (**आई**.** आई**.** बी**.)** के अंतर्गत 'विशिष्टता' के पहलू को उस उपक्रम की प्रकृति से देखा जाना चाहिए जिस पर शुल्क लगाया जाता है**,** न कि उन उपक्रमों की संख्या से जिन पर शुल्क लगाया जाता है।यदि विशिष्टता के इस पहलू को उपक्रम की प्रकृति से देखा जाए**,** तो इस विशेष मामले में**,** केएसबीसी और केरल राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड दोनों केरल राज्य के उपक्रम हैं**,** इसलिए**,** राज्य सरकार के उपक्रमों पर शुल्क एक विशेष शुल्क है।इसके अलावा**,** कोई भी अन्य व्याख्या आयकर अधिनियम**, 1961** में संशोधन के पीछे के उद्देश्य को विफल कर देगी।**[**पैरा **14] [122-**बी**-**एच**; 123-**ए**]**

/

/

2. यह काफी अच्छी तरह से तय किया गया है कि व्याख्या उस तरीके से होनी चाहिए जो कानून के पीछे के उद्देश्य और इरादे को कम करेगी और बढ़ावा देगी।यदि इसकी व्याख्या उपरोक्त तरीके से नहीं की जाती है तो यह कानून के इरादे को विफल कर देगा।उक्त प्रावधान को विफल करने के लिए**,** राज्य सरकारें एक से अधिक राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रमों को लाइसेंस जारी कर सकती हैं और अंततः कह सकती हैं कि यह एक अनन्य उपक्रम नहीं है और इसलिए धारा **40 (**ए**) (**आई**.** आई**.** बी**.)** आकर्षित नहीं होती है।अपीलार्थी के लिए निवेदन यह है कि गैलोन शुल्क**,** लाइसेंस शुल्क और दुकान किराया **(**किस्ट**)** सभी लाइसेंस धारकों पर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत शुल्क हैं**,** जैसे कि यह नहीं कहा जा सकता है कि यह अपीलार्थी/केएसबीसी पर एक विशेष शुल्क है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विशेष वर्ष में आबकारी नीति के कारण**,** अपीलकर्ता**-**राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रम के पक्ष में लाइसेंस जारी किए जाते हैं**,** इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि आबकारी अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक शुल्क राज्य सरकार के उपक्रम पर हैं और ऐसे शुल्क केवल लाइसेंसधारियों पर हैं**,** लेकिन केएसबीसी जैसे राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रमों पर नहीं हैं। उक्त प्रस्तुति को इस कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रम के पक्ष में दिए गए लाइसेंस के आधार पर वैधानिक शुल्क आदि।**,** अधिभार शुल्क**,** लाइसेंस शुल्क और दुकान किराया **(**किस्ट**)** का भुगतान अपीलार्थी**-**उपक्रम**,** यानी के**.** एस**.** बी**.** सी**.** द्वारा किया जाता है। एक बार राज्य सरकार ए

/

/

/

/

/

109

केरल राज्य एम. एफ. जी. और विपणन निगम को प्रभावित करता है। लिमिटेड. वी.एएसटी। आय कर आयुक्त चक्र 1 (1)

उपक्रम लाइसेंस लेता है, ऊपर उल्लिखित वैधानिक शुल्क सरकारी उपक्रम पर होते हैं क्योंकि इसे लाइसेंस दिया जाता है।इसलिए, उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि जहां तक एफ. एल.-**1** लाइसेंसों का संबंध है, गैलोन शुल्क, लाइसेंस शुल्क और दुकान किराया (किस्ट) धारा **40** (ए) (आई. आई. बी.) से आकर्षित नहीं है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है और उच्च न्यायालय का ऐसा निष्कर्ष कानून के पीछे के उद्देश्य और इरादे के विपरीत है।**[**पैरा **14.1] [123-**बी-एफ**]4.** इसके अलावा, क्योंकि एक अन्य राज्य सरकारी उपक्रम, यानी केरल राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड को भी संबंधित वर्षों के दौरान लाइसेंस दिए गए थे, क्योंकि धारा **40** (ए) (आई. आई. बी.) में उल्लिखित ऐसी विशिष्टता समाप्त हो गई है, इसलिए भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विशिष्टता पर लाइसेंस की प्रकृति के संदर्भ में विचार किया जाना है, न कि राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रमों की संख्या के संदर्भ में। यदि उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है, तो कई राज्य सरकारी उपक्रमों को एफ. एल.**-1** में लाइसेंस जारी करके विधायी इरादे को विफल किया जा सकता है और फिर यह तर्क दिया जा सकता है कि विशिष्टता समाप्त हो गई है।उक्त व्याख्या संशोधन के इरादे के विपरीत है।**[**पैरा **14.2] [123-**एफ-एच**]**

/

/

/

5. जहाँ तक बिक्री कर पर अधिभार का संबंध है, उच्च न्यायालय ने के. एस. बी. सी. के पक्ष में और राजस्व के खिलाफ निर्णय दिया है।उच्च न्यायालय का तर्क है कि बिक्री कर पर अधिभार एक कर है और धारा **40** (ए) (आई. आई. बी.) 'कर' पर विचार नहीं करती है और बिक्री कर पर अधिभार 'शुल्क' या 'शुल्क' नहीं है।इसलिए, उच्च न्यायालय का विचार था कि के. एस. बी. सी. पर लगाया गया अधिभार अधिनियम की धारा **40** (ए) (आई. आई. बी.) को आकर्षित नहीं करता है। बिक्री कर पर अधिभार के संबंध में राजस्व जमा करना दो गुना है।एक यह है कि बिक्री कर पर अधिभार लगाना भी के. एस. बी. सी. पर एक विशेष शुल्क है, इसलिए यह धारा **40** (ए) (आई. आई. बी.) को आकर्षित करता है।दूसरा, यह एक वैकल्पिक निवेदन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि यदि यह धारा **40** (ए) (आई.

आई. बी.) (ए) के अंतर्गत नहीं आता है तो यह अधिनियम की धारा **40** (ए) (आई. आई. बी.) (बी) के अंतर्गत आएगा, क्योंकि बिक्री कर पर अधिभार एक कर है और कर राज्य द्वारा के. एस. बी. सी. से विनियोग का एक रूप है। दूसरी ओर यह अपीलार्थी/निर्धारिती का मामला है कि बिक्री कर धारा **40** (ए) (आई. आई. बी.) के दायरे से बाहर है और अधिभार कुछ और नहीं बल्कि कर में वृद्धि है।धारा **40** (ए) (आई. आई. बी.) में उपयोग किए गए शब्दों का उल्लेख करके, विद्वान परामर्शदाता

/

/

/

/

/

श्री गणेश ने प्रस्तुत किया है कि उक्त प्रावधान की व्याख्या इजस्देम जेनरिस के सिद्धांत को लागू करके की जानी चाहिए।यह प्रस्तुत किया जाता है कि 'रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क, सेवा शुल्क, विशेषाधिकार शुल्क, सेवा शुल्क' शब्दों के तुरंत बाद आने वाले 'कोई अन्य शुल्क या शुल्क' शब्द ऐसे समान शुल्कों से संबंधित हैं और इनमें से कोई भी शब्द संभवतः बिक्री कर या बिक्री कर पर अधिभार जैसे कर को शामिल नहीं कर सकता है।धारा **40** (ए) (आई. आई. बी.) में उल्लिखित 'शुल्क' या 'शुल्क' शब्दों में स्पष्ट है और यह केवल 'शुल्क' या 'शुल्क' लेगा जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है या कोई भी शुल्क या शुल्क जो भी नाम से जाना जाता है, लेकिन कर या कर पर अधिभार को शामिल नहीं कर सकता है और ऐसे कर अधिनियम की धारा **40** (ए) (आई. आई. बी.) (ए.) और धारा **40** (ए) (आई. आई. बी.) (बी.) के दायरे और दायरे से बाहर हैं। **[**पैरा **14.3] [124-**ए**-**जी**]**

/

/

6. केएसटी अधिनियम की प्रस्तावना और धारा **3 (1)** को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त अधिनियम द्वारा लगाए गए बिक्री कर पर अधिभार केजीएसटी अधिनियम की धारा **5 (1)** के अंतर्गत लगाए गए मूल बिक्री कर की वृद्धि के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि अधिभार और कुछ नहीं बल्कि एक बिक्री कर है।यह भी तय कानूनी स्थिति है कि कर पर अधिभार कर में वृद्धि के अलावा और कुछ नहीं है।**[**पैरा **14.4] [125-**जी**-**एच**]**

/

7. इसके अलावा**,** सीबीडीटी ने स्वयं इस न्यायालय के समक्ष आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण**,** उच्च न्यायालय ों और एसएलपी**/**अपीलों के समक्ष विभाग द्वारा अपील दायर करने के लिए मौद्रिक सीमाओं में संशोधन करके मुकदमेबाजी को कम करने के उपाय के रूप में परिपत्र **No.3/2018** जारी किया है।उक्त परिपत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कर प्रभाव पर विचार करने के लिए इसमें लागू अधिभार और उपकर शामिल हैं।इससे निर्धारिती का रुख भी मजबूत होगा।इस प्रकार**,** यह स्पष्ट है कि जो अधिभार लगाने की मांग की गई है**,** वह बिक्री कर में वृद्धि के अलावा और कुछ नहीं है**,** जो केजीएसटी अधिनियम की धारा **5 (1)** के अंतर्गत लगाया जाता है। जब केजीएसटी अधिनियम की धारा **5 (1) (**बी**)** के अंतर्गत केएसबीसी द्वारा भुगतान किए गए मूल बिक्री कर पर कटौती की अनुज्ञात गई थी**,** तो बिक्री कर पर अधिभार की कटौती की अनुमति नहीं देने का कोई कारण नहीं है।यदि राजस्व यह नहीं मानता है कि के**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **5 (1) (**बी**)** के अंतर्गत के**.** एस**.** बी**.** सी**.** द्वारा भुगतान किए गए मूल बिक्री कर पर धारा **40 (**ए**) (**आई**.** आई**.** बी**.)** लागू होती है**,** तो यह ज्ञात नहीं है कि बिक्री कर पर अधिभार**,** जो बिक्री कर के अलावा और कुछ नहीं है**,** अधिनियम की धारा **40 (**ए**) (**आई**.** आई**.** बी**.) (**ए**)** या **40 (**ए**) (**आई**.** आई**.** बी**.) (**बी**)** के दायरे में कैसे लाया जा सकता है। इसके अलावा 'शुल्क' और 'कर' के बीच एक स्पष्ट अंतर को सावधानीपूर्वक बनाए रखा जाता है

/

/

/

/

अधिनियम की धारा **40 (**ए**)** के अंतर्गत पूरी योजना में।जहाँ भी संसद कर को शामिल करने का इरादा रखती है**,** वहाँ इसका विशेष रूप से कर के रूप में उल्लेख किया जाता है।धारा **40 (**ए**) (**आई**)** और **40 (**ए**) (**आई**.** ए**.)** विशेष रूप से कर से संबंधित वस्तुओं से संबंधित हैं। धारा **40 (**ए**) (**आई**.** सी**.)** सीमांत लाभ कर के कारण भुगतान की गई राशि को संदर्भित करती है।साथ ही**,** धारा **40 (**ए**) (**आई**.** आई**.** बी**.)** रॉयल्टी**,** लाइसेंस शुल्क**,** सेवा शुल्क**,** विशेषाधिकार शुल्क या किसी अन्य शुल्क या शुल्क को संदर्भित करती है।यदि इन शब्दों में बिक्री कर जैसे कर या अधिभार को शामिल माना जाता है**,** तो कर और शुल्क के बीच धारा **40** में सावधानीपूर्वक बताए गए अंतर को मिटा दिया जाएगा और अर्थहीन कर दिया जाएगा। व्याख्या का यह तय सिद्धांत है कि जहां एक ही क़ानून**,** अलग**-**अलग शब्दों और अभिव्यक्तियों

का उपयोग करता है, तो यह स्पष्ट है कि विधानमंडल अलग-अलग चीजों का उल्लेख कर रहा है।इसके अलावा कारोबार कर भी एक कर है।अधिभार के लिए ऊपर दिया गया वही कारण, कारोबार कर पर भी समान रूप से लागू होता है।इस तरह का कारोबार कर भी धारा **40** (ए) (आई. आई. बी.) (ए) और **40** (ए) (आई. आई. बी.) (बी) के दायरे से बाहर है।इस प्रकार, अपीलार्थी को दिए गए एफ. एल.-**9** और एफ. एल.-**1** लाइसेंसों के संबंध में अधिभार शुल्क, लाइसेंस शुल्क और दुकान किराया (किस्ट) पूरी तरह से आयकर अधिनियम, **1961** की धारा **40** (ए) (आई. आई. बी.) के दायरे में आते हैं।बिक्री कर और कारोबार कर पर अधिभार, धारा **40** (ए) (आई. आई. बी.) (ए) या **40** (ए) (आई. आई. बी.) (बी) के दायरे में आने वाला शुल्क या शुल्क नहीं है, क्योंकि यह ऐसी राशि नहीं है जिसे उक्त प्रावधान के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सके और इस संबंध में की गई अस्वीकृति को उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से अलग कर दिया गया है।[पैरा **14.5,15,16] [126-**जी-एच**; 127-**ए-डी**; 128-**बी-डी**]**

/

/

/

/

डी. एल. एफ. कुतुब एन्क्लेव कॉम्प्लेक्स एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम हरियाणा राज्य और अन्य। (2003) 5 एससीसी 622:[2003] 2 एससीआर 1; कैलाश नाथ अग्रवाल और अन्य बनामयू. पी. का प्रदेशिया औद्योगिक और निवेश निगम

/

लिमिटेड और ए. एन. आर. (2003) 4 एससीसी 305:[2003] 1 एससीआर 1159;

श्री इशर अलॉय स्टील्स लिमिटेड बनामजयस्वाल नेको लिमिटेड **(2001)**

3 एससीसी 609:[2001] 2 एस. सी. आर. 36; सी. आई. टी. बनामके. श्रीनिवासन (1972) 4 एससीसी 526:[1972] 2 एस. सी. आर. 309; सरोजिनी चाय

कं. लिमिटेड बनाम।कलेक्टर, डिब्रूगढ़ **(1992) 2** एससीसी **156:[1992] 1** एससीआर **371;** जलकल विभाग नगर निगम और अन्य बनाम प्रदेश औद्योगिक और निवेश निगम और

/

एक अन्य 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 960-संदर्भित।

/

/

संदर्भित निर्णय

[1972] 2 एस**.** सी**.** आर**. 309** पैरा **10** और **14.4 [1992] 1** एस**.** सी**.** आर**. 371** पैरा **10** और **14.4 2021** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एस**.** सी**. 960** पैरा **11.2** और **14.3 [2003] 2** एस**.** सी**.** आर**. 1** को संदर्भित किया गया है।

/

पैरा **14.5 [2003] 1** एस**.** सी**.** आर**. 1159** को संदर्भित पैरा **14.5 [2001] 2** एस**.** सी**.** आर**. 36** को संदर्भित पैरा **14.5**

सिविल अपीलीय अधिकारिता सिविल अपील No.11

/

2022.

2019 के आई. टी. ए. No.135 में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के दिनांकित 30.04.2020 के निर्णय और आदेश से

सह

/

2022 की सिविल अपील संख्या 12,13 और 14।

एन. वेंकटरमण, ए. एस. जी., एस. गणेश, ए. के. पांडा, वरिष्ठ अधिवक्ता।, अनिल डी. नायर, सुश्री बीना विक्टर, सुश्री प्रिया, जोगी स्कारिया, श्रीमती अनिल कटियार, मनीष पुष्करना, सुश्री प्रीति रानी, राज बहादुर यादव, अधिवक्ता।उपस्थित पक्षकारों के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. सुभाष रेड्डी, जे।

1. अनुमति दी गई।

2. इन अपीलों को राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रम, केरल राज्य पेय पदार्थ निर्माण और विपणन निगम लिमिटेड द्वारा प्राथमिकता दी जाती है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत एक कंपनी है, जो पेय पदार्थों के थोक और खुदरा व्यापार में लगी हुई है, जो आई. टी. ए. में पारित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित है। एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय द्वारा 2019 का 146 और 313।2020 के एस. एल. पी. (सी) No.12859 से उत्पन्न सिविल

अपील निर्धारिती द्वारा दायर की जाती है और अन्य तीन अपीलों को राजस्व द्वारा प्राथमिकता दी जाती है।

/

/

3. निर्धारण वर्ष 2014-2015 के लिए, आयकर उपायुक्त, सर्कल-2 (1), तिरुवनंतपुरम ने आयकर अधिनियम, ए की धारा 143 (3) के अंतर्गत अपीलार्थी की आय के मूल्यांकन को अंतिम रूप दिया।

/

1961 (संक्षेप में, 'अधिनियम') मूल्यांकन आदेश दिनांक 14.12.2016 के माध्यम से। आयकर, तिरुवनंतपुरम के प्रधान आयुक्त ने अधिनियम की धारा 263 के अंतर्गत विचार के अनुसार संशोधन की शक्ति का प्रयोग किया है और इस आधार पर मूल्यांकन के आदेश को दरकिनार कर दिया है कि यह गलत है और राजस्व के हित के लिए प्रतिकूल है, इस हद तक कि यह राज्य सरकार को भुगतान किए गए बिक्री कर और कारोबार कर पर अधिभार की राशि के संबंध में निर्धारिती के लाभ और हानि खाते में किए गए डेबिट को अस्वीकार करने में विफल रहा है, जिसे अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) के अंतर्गत अस्वीकार किया जाना चाहिए था। प्रधान आयुक्त, आयकर, दिनांक 25.09.2018 के आदेश के खिलाफ, अपीलार्थी ने आई. टी. ए. No.536/Coch/2018 में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में, 'न्यायाधिकरण') के समक्ष अपील दायर की।

/

/

4. निर्धारण वर्ष 2015-2016 के संबंध में अपीलार्थी के खिलाफ मूल्यांकन अधिनियम की धारा 143 (3) के अंतर्गत आयकर सहायक आयुक्त, सर्कल-1 (1), तिरुवनंतपुरम द्वारा मूल्यांकन के आदेश दिनांक 28.12.2017 के माध्यम से पूरा किया गया था।अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) के अंतर्गत चालान शुल्क, लाइसेंस शुल्क, दुकान किराया (किस्ट) और बिक्री कर पर अधिभार के भुगतान के संबंध में अपीलार्थी के लाभ और हानि खाते में निहित कुल राशि Rs.811,90,88,115-की अनुमति नहीं दी गई थी। उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने आयकर आयुक्त (अपील), तिरुवनंतपुरम के समक्ष अपील दायर की

है और उसे खारिज कर दिया गया है।अपीलार्थी ने आई. टी. ए. No.537/Coch/2018 में न्यायाधिकरण के समक्ष दूसरी अपील के माध्यम से मामले को उठाया।

/

/

न्यायाधिकरण ने आई. टी. ए. 12.03.2019 के एक सामान्य आदेश द्वारा आई. टी. ए. Nos.536-537/Coch/2018 को खारिज कर दिया है।इसके बाद अपीलार्थी ने इस आधार पर एमपी No.47/Coch/2019 में विविध आवेदन दायर किया है कि न्यायाधिकरण बिक्री कर पर अधिभार की अस्वीकृति के खिलाफ उत्तेजित मुद्दे पर विचार करने में विफल रहा था। उक्त विविध आवेदन को I.T.A.No.537/Coch/2018 में पारित पहले के आदेश दिनांक 12.03.2019 को याद करके अनुज्ञात गई थी और 11.10.2019 पर एक नया आदेश पारित किया गया था, जिसमें अपीलार्थी के खिलाफ मुद्दा पाया गया और अपील को खारिज कर दिया गया।उपर्युक्त तीन आदेशों से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने 2019 के आई. टी. ए. Nos.135; 146 और 313 में उच्च न्यायालय के समक्ष आयकर अपील दायर की है, जिनका आम आक्षेपित आदेश द्वारा निपटारा किया जाता है।उच्च न्यायालय द्वारा पारित सामान्य आक्षेपित आदेश में, उठाए गए विधि के प्रश्न का उत्तर आंशिक रूप से निर्धारिती/अपीलार्थी के पक्ष में और आंशिक रूप से राजस्व के पक्ष में दिया गया था।निर्णय के पैरा 23 और 24 अंतर्गत निम्नानुसार पढ़ा गयाः

/

/

/

114

/

[2022] 1 एस सी आर।

“23. निष्कर्षों को सारांशित करते समय, हम उठाए गए विधि के प्रश्न का उत्तर देने के लिए राजी होते हैं, आंशिक रूप से राजस्व के पक्ष में और आंशिक रूप से निर्धारिती के पक्ष में।हमारा मानना है कि अपीलार्थी को दिए गए एफएल-9 लाइसेंसों के संबंध में गैलोनेज शुल्क, लाइसेंस शुल्क और दुकान किराए (किस्ट) का शुल्क स्पष्ट रूप से धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) के दायरे में आएगा और इस संबंध में भुगतान की गई राशि की अनुमति नहीं दी जाएगी।विदेशी शराब में खुदरा व्यवसाय के संबंध में अपीलार्थी के पक्ष में दिए गए एफ. एल.-1 लाइसेंसों के संबंध में भुगतान की गई गैलोनज शुल्क, लाइसेंस शुल्क, या दुकान किराए (किस्ट) की राशि, अपीलार्थी पर एक विशेष शुल्क नहीं है, जो एक राज्य सरकार का उपक्रम है।इसलिए उन

राशियों के संबंध में की गई अस्वीकृति को कायम नहीं रखा जा सकता है।बिक्री कर और कारोबार कर पर अधिभार धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) के दायरे में आने वाला 'शुल्क या शुल्क' नहीं है और यह ऐसी राशि नहीं है जिसकी उक्त प्रावधान के अंतर्गत अनुमति नहीं दी जा सकती है।इसलिए इस संबंध में की गई अस्वीकृति को दरकिनार किया जा सकता है।

/

/

/

24. परिणामस्वरूप मूल्यांकन वर्षों 2014-2015,2015-2016 के संबंध में अपीलार्थियों के खिलाफ पूरा किया गया मूल्यांकन इसके द्वारा अलग रखा जाता है।अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने पर, ऊपर तय की गई स्थिति के अनुसार आई. टी. अपील संख्या 135,146 और 313/2019-32-देयता की गणना करने के बाद, संशोधित आदेश पारित करने के लिए मामला निर्धारण अधिकारी को प्रेषित किया जाता है।इस संबंध में आवश्यक कदम इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर, किसी भी दर पर, जल्द से जल्द पूरे किए जाएंगे। "

/

5. निपटान के उद्देश्य से, हम पक्षों को संदर्भित करते हैं, जैसा कि केरल राज्य पेय पदार्थ विनिर्माण और विपणन निगम लिमिटेड (केएसबीसी) द्वारा दायर अपील में कहा गया है।

/

6. हमने अपीलार्थी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. गणेश और प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री एन. वेंकटरमन को सुना है।

7. आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 40 'कटौती योग्य राशि नहीं' से संबंधित प्रावधान है।"व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ" शीर्षक के अंतर्गत प्रभार्य आय की गणना में, धारा में विस्तृत राशि कटौती योग्य नहीं है।वित्त अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम 17) द्वारा, अधिनियम की धारा 40 को धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) जोड़कर संशोधित किया गया है, जो 01.04.2014 से लागू हुई है।धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) के अंतर्गत उक्त प्रावधान इस प्रकार हैः

/

/

/

“40. कटौती योग्य राशि नहीं।- किसी भी बात के बावजूद

धारा 30 से 38 के विपरीत, "व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ" शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य आय की गणना में निम्नलिखित राशियों की कटौती नहीं की जाएगी -

(क) किसी भी निर्धारिती के मामले में-(i)

/

... ...

(iib) कोई भी राशि -

(ए) रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क, सेवा शुल्क, विशेषाधिकार शुल्क, सेवा शुल्क या किसी अन्य शुल्क या शुल्क के रूप में भुगतान किया जाता है, जिसे किसी भी नाम से जाना जाता है, जो विशेष रूप से उन पर लगाया जाता है; या

/

((ख) जो राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार के किसी उपक्रम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विनियोजित किया जाता है।स्पष्टीकरण .-इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार के उपक्रम में शामिल हैं -

/

((i) राज्य सरकार के किसी अधिनियम द्वारा या उसअंतर्गत स्थापित निगम;

((ख) एक ऐसी कंपनी जिसमें चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का पचास प्रतिशत से अधिक राज्य सरकार के पास हो।

/

((ग) ऐसी कंपनी जिसमें खंड (i) या खंड (ii) में निर्दिष्ट इकाई के पास चुकता समभाग पूँजी का पचास प्रतिशत से अधिक हिस्सा है (चाहे वह अकेले हो या एक साथ लिया गया हो);

/

((iv) एक ऐसी कंपनी या निगम जिसमें राज्य सरकार को अधिकांश निदेशकों की नियुक्ति करने या प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करने का अधिकार है, जिसमें उसकी हिस्सेदारी या प्रबंधन अधिकार या शेयरधारक समझौतों या मतदान समझौतों या किसी अन्य तरीके से शामिल हैं।

/

((v) राज्य सरकार के किसी अधिनियम द्वारा या उसके अधीन या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण अंतर्गत स्थापित या गठित प्राधिकरण, बोर्ड या संस्था या निकाय।

/

116

/

[2022] 1 एस सी आर।

8. यद्यपि निर्धारिती/अपीलार्थी का मामला है कि एफ. एल.-9 लाइसेंस और एफ. एल.-1 लाइसेंस के लिए अधिभार शुल्क, लाइसेंस शुल्क और दुकान किराया (किस्ट), बिक्री कर और कारोबार कर पर अधिभार उपरोक्त संशोधित धारा के दायरे में नहीं आता है, राजस्व का मामला यह है कि उपरोक्त सभी राशियां धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) के अंतर्गत आती हैं, ऐसी राशियां आय की गणना के उद्देश्य से, निर्धारण वर्षों 2014-2015 और 2015-2016 के लिए कटौती योग्य नहीं हैं।

/

9. मूल्यांकन वर्षों 2014-2015 और 2015-2016 के दौरान अपीलार्थी के पास आबकारी विभाग द्वारा दी गई भारतीय निर्मित विदेशी शराब (IMFL) और विदेशी निर्मित विदेशी शराब (FMFL) के थोक और खुदरा कारोबार के लिए FL-9 और FL-1 लाइसेंस थे।थोक शराब में सौदा करने के लिए एफएल-9 लाइसेंस जारी किया गया था, जिसे वे एफएल-1, एफएल-3, एफएल-4,4 ए, एफएल-11, एफएल-12 लाइसेंस धारकों को बेच रहे थे।एफएल-1 लाइसेंस सीलबंद बोतलों में विदेशी शराब की बिक्री के लिए था, परिसर के भीतर उपभोग के विशेषाधिकार के बिना।गैलोनेज शुल्क केरल अबकारी अधिनियम की धारा 18 ए और विदेशी शराब नियमों के नियम 15 ए के अनुसार देय है।जहाँ तक थोक में सौदा करने के लिए एफएल-9 लाइसेंस के रूप में प्रासंगिक वर्षों के लिए अपीलकर्ता एकमात्र लाइसेंस धारक था, और जहाँ तक एफएल-1 लाइसेंस का संबंध है, यह एक अन्य राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रम, यानी केरल राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड को भी दिया गया था।अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) (ए) में 'विशेष रूप से' शब्द की व्याख्या करते हुए, उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में कहा है कि अपीलार्थी को दिए गए एफ. एल.-9 लाइसेंसों के संबंध में गैलोन शुल्क, लाइसेंस शुल्क और दुकान किराये (किस्ट) का शुल्क स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) के दायरे में आएगा और इस संबंध में भुगतान की गई राशि की अनुमति नहीं दी जाएगी।साथ ही खुदरा व्यवसाय के लिए अपीलार्थी के पक्ष में दिए गए एफ. एल.-1 लाइसेंसों के संबंध में भुगतान किए गए गैलोन शुल्क, लाइसेंस शुल्क और दुकान किराये (किस्ट) की राशि, उच्च न्यायालय ने माना है कि यह एक अनन्य शुल्क नहीं है, क्योंकि इसके संबंध में की गई इस तरह की अस्वीकृति को बनाए नहीं रखा जा सकता है।बिक्री कर और

कारोबार कर पर अधिभार के संबंध में, यह माना जाता है कि यह धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) के अर्थ के भीतर 'शुल्क' या 'शुल्क' नहीं है क्योंकि यह ऐसी राशि नहीं है जिसकी उक्त प्रावधान के अंतर्गत अनुमति नहीं दी जा सकती है।

/

/

/

/

10. श्री गणेश, वित्त अधिनियम, 2013 और अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) के व्याख्यात्मक नोट का उल्लेख करते हुए अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया है कि एफ. एल.-9 लाइसेंस पर गैलोनेज शुल्क, लाइसेंस शुल्क और दुकान किराये (किस्ट) का शुल्क किसी भी राज्य सरकार के उपक्रम पर नहीं है, बल्कि यह लाइसेंसधारी पर एक शुल्क है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि शुल्क लाइसेंस धारक पर था, चाहे वह कोई भी हो और केवल संबंधित वर्ष की आबकारी नीति को ध्यान में रखते हुए ए को लाइसेंस दिए गए थे।

/

/

अपीलार्थी को इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि यह अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) को आकर्षित करने वाले अपीलार्थी पर अनन्य शुल्क था ताकि इसे अस्वीकार किया जा सके।यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल यह तथ्य कि किसी विशेष वर्ष में, लाइसेंस धारक राज्य सरकार का उपक्रम होता है, वह शुल्क नहीं लगाता है, जो सीधे और विशेष रूप से राज्य सरकार के उपक्रम पर लगाया जाता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा है कि किसे एफएल-9 लाइसेंस दिए जाने हैं, यह निर्णय केवल राज्य सरकार की अबकारी नीति पर निर्भर करता है, जो साल-दर-साल भिन्न हो सकती है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त प्रस्तुतिकरण उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में पहले से ही निर्णय लिए गए एफ. एल.-1 लाइसेंस के लिए गैलोन शुल्क, लाइसेंस शुल्क और दुकान किराए के संबंध में भी अच्छा है।बिक्री कर और कारोबार कर पर अधिभार के संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि लगाए गए कर पूरी तरह से अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) के दायरे से बाहर हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि करों पर केरल अधिभार अधिनियम, 1957

(संक्षेप में, 'केएसटी अधिनियम') केवल वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर करों को बढ़ाने के लिए अधिनियमित किया गया है, क्योंकि यह केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1963 (संक्षेप में, 'केजीएसटी अधिनियम') की धारा 5 (1) के अंतर्गत लगाए गए मूल बिक्री कर में वृद्धि के अलावा और कुछ नहीं है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि बिक्री कर पर अधिभार और कुछ नहीं बल्कि कर में वृद्धि है।उक्त निवेदन के समर्थन में, विद्वान वकील ने सी. आई. टी. बनाम आई. टी. के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा रखा है।के. श्रीनिवासन 1 और के मामले में

/

/

/

सरोजिनी टी कंपनी लिमिटेड बनामकलेक्टर, डिब्रूगढ़ **2.**संदर्भ भी है

उक्त प्रस्तुति को समर्थन देने के लिए सीबीडीटी परिपत्र No.3/2018 दिनांक 11.07.2018 पर बनाया गया है।विद्वान अधिवक्ता ने 'शुल्क' और 'करों' के बीच के अंतर की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है कि बिक्री कर और कारोबार कर अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) के दायरे से बाहर है। अंत में यह प्रस्तुत किया जाता है कि निर्धारण वर्ष 2014-2015 के लिए, मूल्यांकन अधिकारी ने बिक्री कर और कारोबार कर पर अधिभार के संबंध में कटौती की अनुज्ञात है, आयुक्त ने अधिनियम की धारा 263 के अंतर्गत संशोधन की शक्ति का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मूल्यांकन अधिकारी द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण था, क्योंकि मूल्यांकन अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए पुनरीक्षण शक्ति का आह्वान ही अनुमत नहीं था।

/

/

/

उपरोक्त प्रस्तुतियों के साथ, विद्वान वकील ने निर्धारिती द्वारा दायर अपील को स्वीकार करने और राजस्व द्वारा दायर अपीलों को खारिज करने के लिए प्रस्तुत किया है।

1 (1972(4) एससीसी 526 2 (1992) 2 एससीसी 156

/

11. राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान ए. एस. जी. श्री वेंकटरमण ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 285 और 289 के अंतर्गत प्रावधानों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए 2013 के अधिनियम 17 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40 में संशोधन के पीछे के इरादे को समझाया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 289 के अनुसार, किसी राज्य की संपत्ति और आय को केंद्रीय कराधान से छूट दी गई है।अनुच्छेद 289 के अंतर्गत संवैधानिक संरक्षण ने राज्यों को राज्य सरकार के उपक्रमों से आय/लाभ को राज्यों के समेकित कोष में स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य सरकार का उपक्रम-के. एस. बी. सी., जो इस मामले में किसी भी अन्य वाणिज्यिक संस्था की तरह एक कंपनी है, व्यापार और व्यवसाय और वाणिज्यिक गतिविधि में लगी हुई है, इसलिए इसे किसी भी अन्य व्यावसायिक संस्था की तरह माना जाना चाहिए।हालाँकि, जब आय विवरणी दाखिल करने की बात आती है, तो इस प्रकार के उपक्रमों में एकमात्र शेयरधारक या प्रमुख शेयरधारक के रूप में राज्य इस पर नियंत्रण रखता है और करों, शुल्क या इसी तरह के विनियोगों के माध्यम से पूरे अधिशेष या इसके एक हिस्से को विनियोजित करके लाभ को स्थानांतरित करता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार के उपक्रमों के हाथों में लाभ का क्षरण हुआ जिससे करों का भुगतान कम हुआ, क्योंकि संबंधित राज्यों द्वारा अपने राज्य सरकार के उपक्रमों से किए गए इन विनियोगों को धारा 40 (ए) के अंतर्गत स्वीकार्य व्यय के रूप में गिना जाता था और इन उपक्रमों ने अर्जित आय से कटौती का दावा किया था, इसलिए राज्य सरकार के उपक्रमों के हाथों में कर नहीं लगाया जा सकता था। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि स्थानांतरित लाभ, इसके हस्तांतरण पर, राज्यों की समेकित निधि में चला गया और इस आधार पर अनुच्छेद 289 के अंतर्गत संवैधानिक संरक्षण का दावा किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप, इन राशियों पर न तो राज्य सरकार के उपक्रमों के हाथों में कर लगाया जा सकता था और न ही संबंधित राज्यों के हाथों में।धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) को शामिल करके उक्त संशोधन को लाने में स्पष्ट रूप से रेखांकित भावना इन उपक्रमों से लाभ को राज्य के खजाने में स्थानांतरित करने या स्थानांतरित करने की संभावना को रोकना है।विद्वान वकील ने 2013 के वित्त विधेयक से जुड़े ज्ञापन का भी उल्लेख किया जो प्रत्यक्ष करों से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या करता है।ज्ञापन अंतर्गत प्रासंगिक भाग इस प्रअंतर्गत र हैः

/

/

/

/

/

/

" राज्य सरकार के उपक्रमों के मामले में कुछ शुल्क, शुल्क आदि की अस्वीकृति

धारा 40 के मौजूदा प्रावधान उन राशियों को निर्दिष्ट करते हैं जिन्हें "व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ" शीर्षक के अंतर्गत प्रभार्य आय की गणना में नहीं काटा जाएगा।गैर-ए

/

119

केरल राज्य एम. एफ. जी. और विपणन निगम को प्रभावित करता है। लिमिटेड. वी.एएसटी। आय कर आयुक्त चक्र 1 (1) [आर. सुभाष रेड्डी, जे.] ए.

उक्त धारा के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय में वैधानिक बकाया जैसे सीमांत लाभ कर, आय-कर, धन-कर आदि भी शामिल हैं।

कुछ राज्य सरकार के उपक्रमों के आय-कर निर्धारण के संबंध में विवाद उत्पन्न हुए हैं कि क्या राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अपने उपक्रमों पर लगाए गए या लगाए गए विशेषाधिकार शुल्क, लाइसेंस शुल्क, रॉयल्टी आदि के रूप में भुगतान की गई कोई राशि कटौती योग्य है या नहीं।कुछ मामलों में, इस आशय के आदेश जारी किए गए हैं कि ऐसे उपक्रमों से उत्पन्न अधिशेष राज्य सरकार के पास निहित होगा।परिणामस्वरूप यह दावा किया गया है कि अधिशेष के रूप में ऐसी आय कर के अधीन नहीं है।यह एक स्थापित विधि है कि राज्य सरकार के उपक्रम राज्य की तुलना में अलग विधि ी निकाय हैं और आय-कर के लिए उत्तरदायी हैं।

/

/

राज्य सरकार के उपक्रमों के कर आधार को विशेष रूप से शुल्क, शुल्क आदि के उद्ग्रहण या राज्य सरकारों द्वारा अपने उपक्रमों से राशि के विनियोग से बचाने के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 40 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि शुल्क, शुल्क आदि के रूप में भुगतान की गई कोई भी राशि, जो राज्य सरकार द्वारा किसी राज्य सरकार के उपक्रम से विशेष रूप से या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विनियोजित किसी भी राशि पर लगाई जाती है, को "व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ" शीर्षक के अंतर्गत ऐसे उपक्रमों की आय की गणना के उद्देश्यों के लिए कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं दी जाएगी।इस उद्देश्य के लिए "राज्य सरकार उपक्रम" शब्द को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है।यह संशोधन 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी होगा और तदनुसार, मूल्यांकन वर्ष 2014-15 और बाद के मूल्यांकन वर्षों के संबंध में लागू होगा। "

/

/

/

11.1.गैलोन शुल्क, लाइसेंस शुल्क और दुकान के किराये (किस्ट) के संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने एफएल-9 लाइसेंस के संबंध में राजस्व के पक्ष में अस्वीकृति को इस आधार पर बरकरार रखा है कि अपीलकर्ता-केएसबीसी विशेष लाइसेंस धारक है, जहां तक एफएल-9 लाइसेंसों का संबंध है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक एफएल-1 लाइसेंसों का संबंध है, केवल इस आधार पर कि इसी तरह के लाइसेंस किसी अन्य लाइसेंस धारक के लिए भी दिए जाते हैं।, केरल राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड को उच्च न्यायालय ने कहा है कि जहां तक एफ. एल.-1 लाइसेंसों का संबंध है, कोई विशिष्टता नहीं है। विद्वान वकील का यह तर्क है कि धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) के अंतर्गत अस्वीकृति लाइसेंस की प्रकृति पर निर्भर नहीं है।परीक्षा यह होनी चाहिए कि क्या आबकारी अधिनियम के अंतर्गत शुल्क लगाया जाता है

/

/

120

/

[2022] 1 एस सी आर।

अनन्य या नहीं और इस मामले में यह अनन्य है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में जारी एफ. एल.-1 लाइसेंसों की सीमा तक की गई प्रतिबंधित व्याख्या अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) के उद्देश्य और इरादे के विपरीत है और उक्त प्रावधान को निरर्थक और अनुचित बनाती है।यह राजस्व का मामला है कि अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) के अंतर्गत उपयोग की जाने वाली विशिष्टता के पहलू को उस उपक्रम की प्रकृति से देखा जाना चाहिए जिस पर शुल्क लगाया जाता है, न कि उन उपक्रमों की संख्या पर जिन पर शुल्क लगाया जाता है।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि के. एस. बी. सी. और केरल राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड केरल राज्य के उपक्रम हैं, इसलिए, लेवी ऐसे राज्य सरकार के उपक्रमों पर एक विशेष लेवी है जो लाइसेंसधारी हैं।

/

/

11.2.जहाँ तक बिक्री कर पर अधिभार का संबंध है, यह फिर से प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह का शुल्क अकेले के. एस. बी. सी. पर एक विशेष शुल्क है, इसलिए, धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) (ए) को ही आकर्षित करता है।वैकल्पिक रूप से, यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यह मानते हुए भी कि ऐसा कर धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) (ए) द्वारा आकर्षित नहीं है, यह

धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) (बी) के अंतर्गत आएगा क्योंकि बिक्री कर पर अधिभार एक 'कर' है और कर राज्य द्वारा के. एस. बी. सी. से विनियोग का एक रूप है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि केएसटी अधिनियम की धारा 3 (1) के अंतर्गत लगाया गया अधिभार केजीएसटी अधिनियम की धारा 5 (1) के अंतर्गत विदेशी शराब विक्रेता द्वारा देय कर पर है। विद्वान वकील का यह तर्क है कि केएसटी अधिनियम की धारा 3 (1) और केजीएसटी अधिनियम की धारा 5 (1) (बी) के संचयी अध्ययन से पता चलेगा कि केजीएसटी अधिनियम की धारा 5 (1) के अंतर्गत विदेशी शराब विक्रेता द्वारा देय कर पर अधिभार लगाया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 3 (1) किसी अन्य श्रेणी से संबंधित नहीं है और विशेष रूप से केवल विदेशी शराब के व्यापारी से संबंधित है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि केजीएसटी अधिनियम की धारा 5 (1) (बी) विदेशी शराब के व्यापार को संदर्भित करती है और यह विशेष रूप से और विशेष रूप से केएसबीसी पर लागू होती है और केएसटी अधिनियम की धारा 3 (1) के अंतर्गत लगाया जाने वाला अतिरिक्त अधिभार बिक्री कर पर है, जो केजीएसटी अधिनियम की धारा 5 (1) (बी) के अंतर्गत केएसबीसी द्वारा विशेष रूप से देय है। इस प्रकार, अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि यह अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) को आकर्षित करने वाले एक अनन्य शुल्क के रूप में योग्य है। यह दिखाने के लिए कि 'कर' और 'शुल्क' के बीच का अंतर संवैधानिक न्यायशास्त्र के विकास में काफी हद तक समाप्त हो गया है, विद्वान वकील ने जलकल के मामले में इस न्यायालय के हाल के एक निर्णय पर भरोसा किया है।

/

/

/

/

विभाग नगर निगम और अन्य बनाम प्रदेश औद्योगिक और निवेश निगम और अन्य **3.**

3 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 960 ए

/

121

केरल राज्य एम. एफ. जी. और विपणन निगम को प्रभावित करता है। लिमिटेड. वी.एएसटी। आय कर आयुक्त चक्र 1 (1) [आर. सुभाष रेड्डी, जे.] ए.

11.3.कारोबार कर के संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिभार के विपरीत जो केएसबीसी पर एक विशेष शुल्क है, यह निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसा कर न केवल केजीएसटी अधिनियम की धारा 5 (1) (बी) के अंतर्गत केएसबीसी पर लगाया गया था, बल्कि केजीएसटी अधिनियम की धारा 5 (2) के अंतर्गत निर्दिष्ट विभिन्न अन्य खुदरा विक्रेताओं

पर भी लगाया जा रहा था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय द्वारा विस्तार से विचार और जांच नहीं की गई है, इसलिए इसे नए निर्णय के लिए खुला रखने का अनुरोध किया गया है क्योंकि तथ्यों और आंकड़ों को सत्यापित करने की आवश्यकता है।

/

उपरोक्त प्रस्तुतियों के साथ, विद्वान ए. एस. जी. ने राजस्व द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार करने और के. एस. बी. सी. द्वारा दायर अपील को खारिज करने का अनुरोध किया है।

/

12. दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद हमने आक्षेपित आदेश और अभिलेख पर रखी गई अन्य सामग्री का अध्ययन किया है।13. आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 40 एक ऐसा प्रावधान है जो 'व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ' शीर्षक के अंतर्गत प्रभार्य आय की गणना करते समय उन राशियों से संबंधित है जो कटौती योग्य नहीं हैं।अधिनियम की धारा 40 को वर्ष 2013 में संशोधित किया गया है, और 40 (ए) (आई. आई. बी.) को 2013 के संशोधन अधिनियम 17 द्वारा जोड़ा गया है, जो 01.04.2014 से लागू हुआ है।भारत के संविधान के अनुच्छेद 289 के अनुसार, किसी राज्य की संपत्ति और आय को संघ कर से छूट दी जाएगी।इसलिए, अनुच्छेद 289 के संदर्भ में, संघ को अपनी आय और संपत्ति पर राज्यों पर कर लगाने से रोक दिया गया है।यह उपरोक्त अनुच्छेद के संदर्भ में राज्यों को दिया गया संवैधानिक संरक्षण है।इस संरक्षण ने राज्यों को अनुच्छेद 289 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के उपक्रमों से आय/लाभ को संबंधित राज्यों की समेकित निधि में स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया है।तत्काल मामले में केएसबीसी, एक राज्य सरकार का उपक्रम, किसी भी अन्य वाणिज्यिक इकाई की तरह एक कंपनी है, जो शराब में थोक और खुदरा व्यवसाय के उद्देश्य से किसी भी अन्य व्यावसायिक इकाई की तरह व्यवसाय और व्यापार में लगी हुई है।इस तरह के उपक्रम राज्यों के नियंत्रण अंतर्गत हैं क्योंकि कुल हिस्सेदारी या कुछ मामलों अंतर्गत अधिकांश हिस्सेदारी राज्यों के पास है।इस प्रकार वे इस पर नियंत्रण रखते हैं और पूरे अधिशेष या इसके एक हिस्से को शुल्क, कर या इसी तरह के विनियोग के माध्यम से सरकार को विनियोजित करके लाभ को स्थानांतरित करते हैं।वित्त अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक ज्ञापन और 2013 के अधिनियम 17 द्वारा आयकर अधिनियम में संशोधन के अंतर्निहित उद्देश्य से, जिसके द्वारा धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) (ए) (बी) जोड़ी गई है, यह स्पष्ट है कि उक्त संशोधन इन उपक्रमों से लाभ के संभावित विचलन या स्थानांतरण को रोकने के लिए किया गया है।

/

/

/

/

राज्य के खजाने में।अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि संकेत दिया गया है, कोई भी राशि, जो विशेष रूप से राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रम (तत्काल मामले में के. एस. बी. सी.) पर लगाई जाती है, को राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रमों की पुस्तकों में कटौती के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार यह आयकर के लिए उत्तरदायी है।14. तत्काल मामले में गैलोन शुल्क, लाइसेंस शुल्क, दुकान किराया (किस्ट), अधिभार और कारोबार कर वे राशियाँ हैं जिनका निर्धारिती दावा करता है कि वे अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) से आकर्षित नहीं हैं। दूसरी ओर यह प्रत्यर्थी/राजस्व का मामला है कि सभी उक्त घटक धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) (ए) या धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) (बी) के अवयवों को आकर्षित करते हैं, जैसे कि वे कटौती योग्य नहीं हैं।मोटे तौर पर इन शुल्कों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।गैलोन शुल्क, लाइसेंस शुल्क और दुकान किराया (किस्ट) 1902 के अबकारी अधिनियम के अंतर्गत लगाए गए शुल्क की प्रकृति में हैं।ये एफएल-9 और एफएल-1 के अंतर्गत जारी किए गए लाइसेंसों के लिए देय शुल्क हैं। आक्षेपित आदेश में, उच्च न्यायालय ने कहा है कि एफएल-9 लाइसेंस के संबंध में गैलोन शुल्क, लाइसेंस शुल्क और दुकान का किराया (किस्ट) कटौती योग्य नहीं है, क्योंकि यह निगम पर एक विशेष शुल्क है।इसके अलावा धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) को लागू करने के लिए एफ. एल.-9 लाइसेंस से एफ. एल.-1 लाइसेंस से एक अंतर निकाला गया है, केवल इस आधार पर कि एफ. एल.-1 लाइसेंस न केवल अपीलकर्ता/के. एस. बी. सी. को जारी किए जाते हैं, बल्कि एक अन्य सरकारी उपक्रम, यानी केरल राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड को भी जारी किए जाते हैं। उच्च न्यायालय ने कहा है कि के. एस. बी. सी. जैसे एफ. एल.-9 के अंतर्गत लाइसेंस रखने वाला कोई अन्य खिलाड़ी नहीं है, इसलिए धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) में उपयोग किया गया 'विशिष्टता' शब्द ऐसी राशियों को आकर्षित करता है।साथ ही केवल इस आधार पर कि एफ. एल.-1 लाइसेंस न केवल के. एस. बी. सी. को बल्कि केरल राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड को भी जारी किए जाते हैं, उच्च न्यायालय ने माना है कि धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) के अंतर्गत प्रावधान को लागू करने के लिए विशिष्टता समाप्त हो गई है।यदि धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) के अंतर्गत संशोधित प्रावधान को उच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या किए गए तरीके से पढ़ा जाना है, तो यह सचमुच संशोधन के पीछे के उद्देश्य और इरादे को विफल कर देगा।धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) के अंतर्गत विशिष्टता के पहलू पर संकीर्ण व्याख्या के साथ विचार नहीं किया जाना चाहिए, जो केवल इस आधार पर विधानमंडल के इरादे को विफल कर देगा कि एक और खिलाड़ी है, अर्थात।, केरल राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड जिसे एफएल-1 के अंतर्गत लाइसेंस भी दिया गया है।धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.)

के अंतर्गत 'विशिष्टता' के पहलू को उस उपक्रम की प्रकृति से देखा जाना चाहिए जिस पर शुल्क लगाया जाता है, न कि उन उपक्रमों की संख्या से जिन पर शुल्क लगाया जाता है।यदि विशिष्टता के इस पहलू को उपक्रम की प्रकृति से देखा जाए, तो इस विशेष मामले में, केएसबीसी और केरल राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड दोनों केरल राज्य के उपक्रम हैं, इसलिए, ए

/

/

/

/

/

/

/

123

केरल राज्य एम. एफ. जी. और विपणन निगम को प्रभावित करता है। लिमिटेड. वी.एएसटी। आय कर आयुक्त चक्र 1 (1) [आर. सुभाष रेड्डी, जे.] ए.

यह राज्य सरकार के उपक्रमों पर एक विशेष शुल्क है।इसलिए, हमारा विचार है कि कोई भी अन्य व्याख्या आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन के पीछे के उद्देश्य को विफल कर देगी। 14.1. यह काफी अच्छी तरह से तय किया गया है कि व्याख्या उस तरीके से होनी चाहिए जो कानून के पीछे के उद्देश्य और इरादे को कम करेगी और बढ़ावा देगी।यदि इसकी व्याख्या उपरोक्त तरीके से नहीं की जाती है तो यह कानून के इरादे को विफल कर देगा।उक्त प्रावधान को विफल करने के लिए, राज्य सरकारें एक से अधिक राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रमों को लाइसेंस जारी कर सकती हैं और अंततः कह सकती हैं कि यह एक अनन्य उपक्रम नहीं है और इसलिए धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) आकर्षित नहीं होती है।अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गणेश का निवेदन है कि सभी लाइसेंस धारकों पर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अधिभार शुल्क, लाइसेंस शुल्क और दुकान का किराया (किस्ट) लगाया जाता है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि यह अपीलार्थी/केएसबीसी पर एक विशेष शुल्क है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विशेष वर्ष में आबकारी नीति के कारण, अपीलकर्ता-राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रम के पक्ष में लाइसेंस जारी किए जाते हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि आबकारी अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक शुल्क राज्य सरकार के उपक्रम पर हैं और ऐसे शुल्क केवल लाइसेंसधारियों पर हैं, लेकिन केएसबीसी जैसे राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रमों पर नहीं हैं। उक्त प्रस्तुति को इस कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रम के पक्ष में दिए गए लाइसेंस के आधार पर वैधानिक शुल्क आदि।, अधिभार शुल्क, लाइसेंस

शुल्क और दुकान किराया (किस्ट) का भुगतान अपीलार्थी-उपक्रम, यानी के. एस. बी. सी. द्वारा किया जाता है। एक बार जब राज्य सरकार का उपक्रम लाइसेंस ले लेता है, तो ऊपर उल्लिखित वैधानिक शुल्क सरकारी उपक्रम पर होते हैं क्योंकि इसे लाइसेंस दिया जाता है।इसलिए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि जहां तक एफ. एल.-1 लाइसेंसों का संबंध है, अधिभार शुल्क, लाइसेंस शुल्क और दुकान किराया (किस्ट) धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) से आकर्षित नहीं है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है और उच्च न्यायालय का ऐसा निष्कर्ष कानून के पीछे के उद्देश्य और इरादे के विपरीत है।14.2.इसके अलावा, क्योंकि एक अन्य राज्य सरकारी उपक्रम, यानी केरल राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड को भी संबंधित वर्षों के दौरान लाइसेंस दिए गए थे, क्योंकि धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) में उल्लिखित ऐसी विशिष्टता समाप्त हो गई है, इसलिए भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विशिष्टता पर लाइसेंस की प्रकृति के संदर्भ में विचार किया जाना है, न कि राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रमों की संख्या के संदर्भ में।यदि उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है, तो कई राज्य सरकार के उपक्रमों को एफ. एल.-1 में लाइसेंस जारी करके विधायी इरादे को विफल किया जा सकता है और फिर यह तर्क दिया जा सकता है कि विशिष्टता समाप्त हो गई है। उक्त व्याख्या संशोधन के इरादे के विपरीत है।

/

/

/

/

/

/

/

124

/

[2022] 1 एस सी आर।

14.3.जहाँ तक बिक्री कर पर अधिभार का संबंध है, उच्च न्यायालय ने के. एस. बी. सी. के पक्ष में और राजस्व के खिलाफ निर्णय दिया है।उच्च न्यायालय का तर्क है कि बिक्री कर पर अधिभार एक कर है और धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) 'कर' पर विचार नहीं करती है और बिक्री कर पर अधिभार 'शुल्क' या 'शुल्क' नहीं है।इसलिए, उच्च न्यायालय का विचार था कि के. एस. बी. सी. पर लगाया गया अधिभार अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) को

आकर्षित नहीं करता है। बिक्री कर पर अधिभार के संबंध में ए. एस. जी. श्री वेंकटरमण का प्रस्तुतिकरण दोगुना है।एक यह है कि बिक्री कर पर अधिभार लगाना भी के. एस. बी. सी. पर एक विशेष शुल्क है, इसलिए यह धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) (ए) को ही आकर्षित करती है।दूसरा, यह एक वैकल्पिक निवेदन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि यदि यह धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) (ए) के अंतर्गत नहीं आता है तो यह अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) (बी) के अंतर्गत आएगा, क्योंकि बिक्री कर पर अधिभार एक कर है और कर राज्य द्वारा के. एस. बी. सी. से विनियोग का एक रूप है। विद्वान वकील ने इस न्यायालय के हाल के एक निर्णय पर भरोसा किया

/

/

जलकल विभाग नगर निगम और अन्य का मामला **3.**दूसरी ओर

यह अपीलार्थी/निर्धारिती का मामला है कि बिक्री कर धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) के दायरे से बाहर है और अधिभार कुछ और नहीं बल्कि कर में वृद्धि है।धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) में उपयोग किए गए शब्दों का उल्लेख करते हुए, विद्वान वकील श्री गणेश ने प्रस्तुत किया है कि उक्त प्रावधान की व्याख्या इजस्डेम जेनरिस के सिद्धांत को लागू करके की जानी चाहिए।यह प्रस्तुत किया जाता है कि 'रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क, सेवा शुल्क, विशेषाधिकार शुल्क, सेवा शुल्क' शब्दों के तुरंत बाद आने वाले 'कोई अन्य शुल्क या शुल्क' शब्द ऐसे समान शुल्कों से संबंधित हैं और इनमें से कोई भी शब्द संभवतः बिक्री कर या बिक्री कर पर अधिभार जैसे कर को शामिल नहीं कर सकता है।बिक्री कर पर अधिभार के संबंध में, हम अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गणेश के निवेदन से सहमत हैं।धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) में उल्लिखित 'शुल्क' या 'शुल्क' शब्दों में स्पष्ट है और यह केवल 'शुल्क' या 'शुल्क' लेगा जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है या कोई भी शुल्क या शुल्क जो भी नाम से जाना जाता है, लेकिन कर या कर पर अधिभार को शामिल नहीं कर सकता है और ऐसे कर अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) (ए.) और धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) (बी.) के दायरे और दायरे से बाहर हैं। के. एस. बी. सी. पर लगाया जाने वाला अधिभार के. एस. टी. अधिनियम की धारा 3 (1) के अंतर्गत है जो इस प्रकार हैः

/

/

/

“3. बिक्री और खरीद करों पर अधिभार का शुल्क।–

/

(1) विदेशी शराब के व्यापारी द्वारा केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उप-धारा (1) के अंतर्गत देय कर में दस प्रतिशत की दर से अधिभार बढ़ाया जाएगा और केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम 1963 के प्रावधान उक्त अधिभार के संबंध में लागू होंगे जैसा कि वे उक्त अधिनियम के अंतर्गत देय कर के संबंध में लागू होते हैं।

/

125

केरल राज्य एम. एफ. जी. और विपणन निगम को प्रभावित करता है। लिमिटेड. वी.एएसटी। आय कर आयुक्त चक्र 1 (1) [आर. सुभाष रेड्डी, जे.] ए.

/

बशर्ते कि जहां केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (सी) में परिभाषित घोषित वस्तुओं के संबंध में केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1963 के अंतर्गत ऐसे विक्रेता द्वारा इस उप-धारा के अंतर्गत देय अधिभार के साथ देय कर बिक्री या खरीद मूल्य के चार प्रतिशत से अधिक है, वहां ऐसी वस्तुओं के संबंध में अधिभार की दर को इस हद तक कम किया जाएगा कि कर और अधिभार एक साथ बिक्री या खरीद मूल्य के चार प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे। "

/

केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1963 अंतर्गत धारा 5 (1) (बी) इस प्रकार हैः

/

5. माल की बिक्री या खरीद पर कर का शुल्कः- (1) प्रत्येक

विक्रेता (एक अनिवासी व्यापारी या केंद्र सरकार, या केरल सरकार या किसी अन्य राज्य या किसी केंद्र शासित प्रदेश की सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के एक आकस्मिक व्यापारी या एजेंट के अलावा) जिसका एक वर्ष के लिए कुल कारोबार दो लाख रुपये से कम नहीं है और प्रत्येक अनौपचारिक व्यापारी या एक अनिवासी डीलर का एजेंट, केंद्र सरकार, केरल सरकार, किसी अन्य राज्य या किसी केंद्र शासित प्रदेश की सरकार, या कोई स्थानीय प्राधिकरण जो भी अनुसूची में शामिल माल के संबंध में वर्ष के लिए उसका कुल कारोबार हो, ऐसी वस्तुओं के खिलाफ उल्लिखित दर पर, -

/

/

(अ).....

(ख) विदेशी शराब के संबंध में, केरल राज्य पेय पदार्थ (विनिर्माण और विपणन) निगम लिमिटेड द्वारा बिक्री के बिंदु पर और इस धारा के अंतर्गत कर के लिए उत्तरदायी एक व्यापारी द्वारा राज्य में पहली बिक्री के बिंदु पर, सिवाय इसके कि बिक्री केरल राज्य पेय पदार्थ (विनिर्माण और विपणन) निगम लिमिटेड को है।

/

(ग)..... "

14.4.केएसटी अधिनियम की प्रस्तावना और धारा 3 (1) को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त अधिनियम द्वारा लगाए गए बिक्री कर पर अधिभार केजीएसटी अधिनियम की धारा 5 (1) के अंतर्गत लगाए गए मूल बिक्री कर की वृद्धि के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि अधिभार और कुछ नहीं बल्कि एक बिक्री कर है।यह भी तय कानूनी स्थिति है कि कर पर अधिभार कर में वृद्धि के अलावा और कुछ नहीं है।इस संबंध में, उक्त दृष्टिकोण के समर्थन में, इस न्यायालय के निर्णयों के लिए तैयार संदर्भ बनाया जा सकता है।

/

/

के**.** श्रीनिवासन **1** और सरोजिनी टी कंपनी लिमिटेड **2** का मामला।अनुच्छेद **7**

के. श्रीनिवासन 1 के मामले अंतर्गत निर्णय इस प्रकार है:“7. वित्त अधिनियमों के उपरोक्त विधायी इतिहास और व्यवहार से यह संकेत मिलता है कि धारा 2 में प्रयुक्त "आयकर" शब्द में अधिभार के साथ-साथ विशेष और अतिरिक्त अधिभार भी शामिल हैं जो संविधान के अनुच्छेद 271 के अर्थ के भीतर अधिभार भी हैं।1940 और 1941 के वित्त अधिनियमों में प्रयुक्त वाक्यांशों से पता चला कि केंद्र सरकार के उद्देश्य के लिए केवल आयकर और अतिरिक्त कर की दरों में अधिभार बढ़ाया जाना था।1958 के वित्त अधिनियम में उपयोग की गई भाषा से पता चलता है कि जो आयकर लगाया जाना था, उसे संघ के उद्देश्य के लिए अधिभार द्वारा बढ़ाया जाना था।इस प्रकार "अधिभार" शब्द का उपयोग या तो आयकर और अतिरिक्त कर की दरों को बढ़ाने या इन करों को बढ़ाने के लिए किया गया है।1971 के वित्त अधिनियम की योजना इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ती है कि धारा 2 में उपयोग किए गए "आयकर" शब्द में अधिभार शामिल है। "

/

/

/

सरोजिनी टी कंपनी लिमिटेड **2** के मामले अंतर्गत निर्णय का पैरा **20** इस प्रकार हैः

“20. उपरोक्त कारणों से, हम उच्च न्यायालय के इस विचार का समर्थन करने में असमर्थ हैं कि अधिभार अधिनियम के अंतर्गत देय भूमि राजस्व पर अधिभार भूमि राजस्व नहीं है, बल्कि एक ऐसा शुल्क है जो भूमि राजस्व से अलग है।इसके द्वारा निर्धारित विधि के अनुरूप

/

विश्वेश तीर्थ स्वामीयर मामले में न्यायालय [(1972) 3 एस. सी. सी. 246:

(1972) 1 एससीआर 137:ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 2377] यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि अधिभार अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया भूमि राजस्व पर अधिभार, भूमि राजस्व में वृद्धि होने के कारण, भूमि राजस्व का हिस्सा है और इसे अधिकतम सीमा अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत मुआवजे का आकलन करने के उद्देश्य से माना जाना चाहिए।

/

14.5.इसके अलावा, सी. बी. डी. टी. ने स्वयं परिपत्र संख्या 3/2018 में परिपत्र जारी किया है जो इस न्यायालय के समक्ष आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय ों और एस. एल. पी./अपीलों के समक्ष विभाग द्वारा अपील दायर करने के लिए मौद्रिक सीमाओं में संशोधन करके मुकदमेबाजी को कम करने के उपाय के रूप में जारी किया गया है।उक्त परिपत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कर प्रभाव पर विचार करने के लिए इसमें लागू अधिभार और उपकर शामिल हैं।इससे निर्धारिती का रुख भी मजबूत होगा।इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जो अधिभार लगाने की मांग की गई है, वह बिक्री कर में वृद्धि के अलावा और कुछ नहीं है, जो केजीएसटी अधिनियम की धारा 5 (1) के अंतर्गत लगाया जाता है। जब ए द्वारा मूल बिक्री कर का भुगतान किया जाता है

/

/

केजीएसटी अधिनियम की धारा 5 (1) (बी) के अंतर्गत केएसबीसी को कटौती की अनुज्ञात गई थी, बिक्री कर पर अधिभार की कटौती की अनुमति नहीं देने का कोई कारण नहीं है।यदि राजस्व यह नहीं मानता है कि के. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (1) (बी) के अंतर्गत के. एस. बी. सी. द्वारा भुगतान किए गए मूल बिक्री कर पर धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) लागू होती है, तो यह ज्ञात नहीं है कि बिक्री कर पर अधिभार, जो बिक्री कर के अलावा और

कुछ नहीं है, अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) (ए) या 40 (ए) (आई. आई. बी.) (बी) के दायरे में कैसे लाया जा सकता है। इसके अलावा अधिनियम की धारा 40 (ए) के अंतर्गत पूरी योजना में 'शुल्क' और 'कर' के बीच एक स्पष्ट अंतर सावधानीपूर्वक बनाए रखा जाता है।जहाँ भी संसद कर को शामिल करने का इरादा रखती है, वहाँ इसका विशेष रूप से कर के रूप में उल्लेख किया जाता है।धारा 40 (ए) (आई) और 40 (ए) (आई. ए.) विशेष रूप से कर से संबंधित वस्तुओं से संबंधित हैं।धारा 40 (ए) (आई. सी.) सीमांत लाभ कर के कारण भुगतान की गई राशि को संदर्भित करती है।साथ ही, धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क, सेवा शुल्क, विशेषाधिकार शुल्क या किसी अन्य शुल्क या शुल्क को संदर्भित करती है।यदि इन शब्दों में बिक्री कर जैसे कर या अधिभार को शामिल माना जाता है, तो कर और शुल्क के बीच धारा 40 में सावधानीपूर्वक बताए गए अंतर को मिटा दिया जाएगा और अर्थहीन कर दिया जाएगा।व्याख्या का यह तय सिद्धांत है कि जहां एक ही क़ानून, अलग-अलग शब्दों और अभिव्यक्तियों का उपयोग करता है, तो यह स्पष्ट है कि विधानमंडल अलग-अलग चीजों का उल्लेख कर रहा है।उक्त दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए तैयार संदर्भ डी. एल. एफ. कुतुब एन्क्लेव कॉम्प्लेक्स के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों के लिए किया जा सकता है।

/

/

/

एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम हरियाणा राज्य और अन्य **4.** कैलाश नाथ अग्रवाल और अन्य बनामप्रदेशिया इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यू**.** पी**.** लिमिटेड और ए**.** एन**.** आर**. 5.** और श्री इशर अलॉय स्टील्स लिमिटेड।

/

बनाम**.** जयस्वाल नेको लिमिटेड **6.**विद्वान ए**.** एस**.** जी**.** द्वारा निर्णय पर भरोसा किया गया

जलकल विभाग नगर निगम और अन्य **3** के मामले में नहीं होगा

राजस्व के मामले का समर्थन करने के लिए कोई भी सहायता प्रदान करना।उक्त निर्णय में केवल इस बात पर विचार किया गया है कि क्या उत्तर प्रदेश जल आपूर्ति और सीवरेज अधिनियम की धारा 52 ए के अंतर्गत जल कर लगाना एक शुल्क है या क्या यह संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 49 के अंतर्गत आने वाला कर है।उक्त निर्णय वास्तव में 'शुल्क' और 'कर' के बीच बुनियादी संवैधानिक अंतर को बनाए रखता है और दूर नहीं करता है।धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) में उपयोग की गई भाषा को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि उपरोक्त निर्णय राजस्व के मामले का समर्थन नहीं करता है।यहां तक कि विद्वान वकील का अन्य वैकल्पिक निवेदन कि यह धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) (बी) को आकर्षित कर सकता है, भी इस कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि जहां भी संसद कर को शामिल करने का इरादा रखती है, वहां करों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है।

/

/

4 (2003) 5 एससीसी 622 5 (2003) 4 एससीसी 305 6 (2001) 3 एससीसी 609

/

धारा 40 में ही।यह स्वयं इंगित करता है कि अधिभार या कर को आयकर अधिनियम, 1961 की संशोधित धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) (ए) या 40 (ए) (आई. आई. बी.) (बी) के दायरे में शामिल करने का इरादा कभी नहीं था।

15. जहां तक कारोबार कर का संबंध है, राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान ए. एस. जी. द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसा कर न केवल के. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (1) (बी) के संदर्भ में के. एस. बी. सी. पर लगाया गया था, बल्कि यह उक्त अधिनियम की धारा 5 (2) के अंतर्गत निर्दिष्ट विभिन्न अन्य खुदरा विक्रेताओं पर लगाया गया है। इसके अलावा कारोबार कर भी एक कर है।वही कारण जो हमने अधिभार के लिए ऊपर दिया है, समान रूप से कारोबार कर पर भी लागू होता है।इस तरह का कारोबार कर भी धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) (ए) और 40 (ए) (आई. आई. बी.) (बी) के दायरे से बाहर है।

/

/

16. उपरोक्त कारणों से, हम मानते हैं कि अपीलार्थी को दिए गए एफएल-9 और एफएल-1 लाइसेंसों के संबंध में अधिभार शुल्क, लाइसेंस शुल्क और दुकान किराया (किस्ट), पूरी तरह से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) के दायरे में आएगा।बिक्री कर और कारोबार कर पर अधिभार, धारा 40 (ए) (आई. आई. बी.) (ए) या 40 (ए) (आई. आई. बी.) (बी) के दायरे में आने वाला शुल्क या शुल्क नहीं है, क्योंकि यह ऐसी राशि नहीं है जिसे उक्त प्रावधान के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सके और इस संबंध में की गई अस्वीकृति को उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से अलग कर दिया गया है।

/

17. तदनुसार, निर्धारिती द्वारा दायर दीवानी अपील को खारिज कर दिया जाता है और राजस्व द्वारा दायर दीवानी अपीलों को ऊपर बताए गए हद तक आंशिक रूप से अनुज्ञात जाती है। नतीजतन, मूल्यांकन वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के संबंध में निर्धारिती के

खिलाफ पूरा किया गया मूल्यांकन अलग रखा जाता है।निर्धारण अधिकारी ऊपर बताए गए निर्देशों के अनुसार दायित्व की गणना करने के बाद संशोधित आदेश पारित करेगा।चूंकि विवाद निर्धारण वर्षों 2014-2015 और 2015-2016 से संबंधित है, इसलिए निर्धारण अधिकारी इस निर्णय की प्राप्ति की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर उचित आदेश पारित करेगा।

/

/

/

अपीलों का निपटारा किया गया।

/

/